

सं० सं० 14/एम 11-2/16
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक

डा. आजाद हिन्द प्रसाद
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में,

निदेशक,
संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान
राय बरेली रोड, लखनऊ, -226014

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 15.02.17 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	रनेहा कुमारी पिता-रामजीत चौधरी ग्राम-पो०-भरतपुरा थाना-जी०वी० नगर जिला-सीवान सीआरनं०-2016953060	हृदय रोग	₹ 85,000 /--(पचासी हजार) स्वीकृत।
2	अमरजीत कुमार पिता-नरेन्द्र प्रसाद यादव ग्राम-पो०-नरपा थाना-बिथान जिला-समस्तीपुर सीआरनं०-2015456176	गुर्दा प्रत्यारोपण रोग	₹ 2,50,000 /--(दो लाख पचास हजार) स्वीकृत।
3	दुर्गावती कुमारी पिता-शर्मा महतो ग्राम-हथौड़ी पोस्ट-छपिया बुजुर्ग थाना-हुसैनगंज जिला-सीवान सीआरनं०-2016973876	पेट रोग (सर्जरी)	₹ 50,000 /--(पचास हजार) स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
4	काजल कुमारी पिता-विरेन्द्र प्रसाद ग्राम-कन्हौली पो०-हुसेपुर नन्द थाना-वसंतपुर, जिला-सीवान सीआरनं०-2016898085	हृदय रोग	₹ 70,000 /--(सतर हजार) स्वीकृत।
5	मुख्तार अहमद पिता-उरमान अंसारी ग्राम-मझीयाव पो०-पडुहार, थाना-दरीहट जिला-रोहतास सीआरनं०-2016131683	कैंसर रोग	₹ 80,000 /--(अस्सी हजार) स्वीकृत।

(Handwritten signature)

6	साहेब राउत पिता-ढोडा राउत ग्राम-बैकुंठवा पो-खड्डा कुंजलही थाना-नौतन जिला-प० चम्पारण सीआरन०-2016951260	कैंसर रोग	₹ 1,00,000 /-(एक लाख) स्वीकृत ।
7	दीनानाथ कुमार पिता-चन्देश्वर महतो ग्राम-जतकौली पोस्ट-धरमपुर थाना+जिला-वैशाली सीआरन०-2016709646	अर्थराइटिस रोग	₹ 50,000 /-(पचास हजार) स्वीकृत । विशेष परिस्थिति में ।
8	अनिल सिंह पिता-स्व. दीप नारायण सिंह ग्राम-पो०-सिंघासनी थाना-रामगढ़वा जिला-पूर्वी चम्पारण सीआरन०-2017085216	स्पाइनल रोग	₹ 1,20,000 /-(एक लाख बीस हजार) स्वीकृत । विशेष परिस्थिति में ।
			कुल ₹ 8,05,000 /-

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 8,05,000 /-(आठ लाख पांच हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", चालु खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 836380 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 10095237548 खाता धारक का नाम-"निदेशक, एस० जी० पी० जी० आई० एम० एस० पी० आई०डी० खाता" खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-भारतीय स्टेट बैंक, शाखा का नाम-एस०जी०पी०जी०आई०,RTGS/IFSC कोड सं० SBIN0007789 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- गुर्दा प्रत्यारोपण के मामले में स्वीकृत अनुदान राशि का इस्तेमाल सिर्फ गुर्दा रोग की शल्य चिकित्सा के लिए अनुमान्य होगा, न कि चिकित्सोपरान्त दवा/डायलेसिस आदि के लिए।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि की उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुपयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

निदेशकाराज्य

ह०/-

(डा. आजाद हिन्द प्रसाद)
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि-शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 836380 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ह०/-

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक

266 (14)

पटना, दिनांक 20.02.17

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / श्री हरिशंकर यादव मा० सं०वि०स०/ श्री राज किशोर सिंह मा० सं०वि०स० वैशाली/ सभी संबंधित मरीजों/आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)